

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

:: अधिसूचना ::

सं०-21/एस०एस०सी०-02/2012, सा०प्र०/.....पटना 15, दिनांक.....

बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली, 2014 के नियम-04 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नियमावली की अनुसूची-2 (स्नातक स्तरीय) में स्वास्थ्य विभाग, के "स्वास्थ्य प्रशिक्षक" पद को तत्कालिक प्रभाव से शामिल किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(केशव कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-21/एस०एस०सी०-02/2012, सा०प्र०/.....पटना 15, दिनांक.....

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ इस विभाग को भेजने हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-21/एस०एस०सी०-02/2012, सा०प्र०/...17636...पटना 15, दिनांक...2.2.12...14-

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष /सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/उप सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद सचिवालय, पटना/आई०टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रत्येक विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीनस्थ सभी कार्यालयों को अविलम्ब सूचित करा दें।

सरकार के अपर सचिव।